

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2724
गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक)

बेरोजगारी कम करने के उपाय

2724. डा. मु. तंबी दुरै:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई उपाय कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार, राज्य-वार कितनी नौकरियां प्रदान/सृजित की गई हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) में कमी की प्रवृत्ति है। सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का बेरोजगारी दर वर्ष 2021-22 में 4.1% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 52.9%, 56.0% और 58.2% है। पीएलएफएस रिपोर्टों में विस्तृत वर्ष-वार, राज्य-वार सूचना उपलब्ध है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। तदनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसे उपाय किए हैं (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना आदि उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes में देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है।

बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित की गई रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप प्रदान करना, नियोजनीयता में वृद्धि करना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।
